

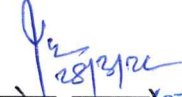
प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर रायसेन जिले के वन मण्डल औबेदुल्लागंज अन्तर्गत रातापानी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गोहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-881, पी.एफ.-882 एवं आर.एफ. 315 एवं आर.एफ.-316 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हेक्टेयर वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 24.03.2022

स्थान: भोपाल


(अशोक कुमार) अशोक कुमार
अपर सचिव, अपर सचिव,
म.प्र. शासन वन विभाग मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)